https://www.freshersnow.com/syllabus/

(iii)	चरित्र	(क)नियुक्ति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा कि पुलिस के माध्यम से अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त			
	प्रमाण	का सत्यापन करवा लें परन्तु किसी भी स्थिति में सत्यापन का कार्य परीवीक्षा अवधि पूर्ण होने के			
	पत्र	बाद के लिए न छोड़ा जाये। सेवा के मध्य कभी भी पुलिस द्वारा अच्छे चरित्र के प्रतिकूल सूचित			
		किया जाता है तो उसे निरन्तर सेवा में रहने की आज्ञा नहीं दी जायेगी तथा उसकी सेवायें			
	1	बिना किसी नोटिस प्रतिकर अथवा वेतन के निरस्त कर दी जायेंगी।			
4		(ख)अभ्यर्थी को अन्तिम शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय के प्रमुख द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र			
		प्रस्तुत करना होगा।			
		(ग)अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के दो ऐसे संभ्रान्त व्यक्तियों, जो अभ्यर्थी के			
		सम्बन्धी न हों, से सतचरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।			
(iv)	रवस्थता	प्रत्येक अभ्यर्थी, जो प्रतियोगी परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति हेतु उपयुक्त पाये गये			
5	प्रमाण	हों, को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व मानसिक एवं शारीरिक स्वस्थता का प्रमाण पत्र			
	पत्र	जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा किसी ऐसे चिकित्सा			
	L	अधिकारी, जिसे कारपोरेशन ने इसके लिए प्राधिकृत किया हो, से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।			
(v)	वैवाहिक	सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसे पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से			
	रिथति	अधिक जीवित पत्नियाँ हो अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो			
1		जिसके पहले से ही एक पत्नी हो, परन्तु यह कि निदेशक मण्डल ऐसे किसी अभ्यर्थी को इस			
		नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते हैं यदि यह समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष			
		कारण विद्यमान हैं।			
	>				

नोट—केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र तथा राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन अथवा नियन्त्रणाधीन किसी प्राधिकरण, निगम या निकाय द्वारा सेवा से पदच्युत (Dismissed) व्यक्ति/अभ्यर्थी किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नही होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए आरोपित दोष सिद्ध व्यक्ति/अभ्यर्थी भी पात्र नही होंगे।

4. अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रियाः-अनिवार्य अर्हतायें एवं चयन प्रक्रिया का विवरण निम्नवत् है:--

¤ अनिवार्य अर्हतायें :

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि ।

(ख) कम्प्यूटर पर हिन्दी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य।

¤ चयन प्रक्रियाः

(क) लिखित एवं दक्षता परीक्षा : चुयून लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा (सी0बी0टी0) का प्रश्न पत्र दो भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिन्दी एवं अंग्रेजी दो भाषाओं में होगा।

प्रथम भाग - (1) प्रथम भाग की लिखित परीक्षा में NIELIT के "CCC" स्तर का कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे व प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा। अर्थात यह परीक्षा 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

(2) कम्प्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुये उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(3) कम्प्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किये गये अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेत् जोडे नहीं जायेंगे।

द्वितीय <u>भागः</u> — लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यकम से सम्बन्धित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये ऋणात्मक 1/4 अंक प्रदान किये जायेगें अर्थात 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।

प्रश्न पत्र	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक
सामान्य अध्ययन	25	25
तार्किक ज्ञान	45	45
सामान्य हिन्दी (इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)	55	55
सामान्य अंग्रेजी (इण्टरमीडिएट सामान्य स्तर)	55	55
	कुल अंक	180
de la contra de la	REF CLARE	toto l
	1242	

https://www.freshersnow.com/government-jobs-india/

तृतीय भागः-

- दितीय भाग की लिखित परीक्षा में प्राप्त किये गये अंकों की मेरिट के आधार पर हिन्दी व अंग्रेजी टंकण परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह होगा कि किन्ही भी परिस्थियों में आमंत्रित किये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष तीन गुने से कम नहीं होगी।
- अभ्यर्थियों को हिन्दी एवं अग्रेजी टंकण हेतु कम्प्यूटर पर 05 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जायेगा।
- हिन्दी टंकण की परीक्षा Kruti Dev 010 या 016 फॉन्ट में ली जायेगी।
- चयन हेतु हिन्दी टंकण में <u>न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति</u> प्राप्त करना अनिवार्य होगा अर्थात हिन्दी टंकण हेतु निर्धारित इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
- टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होगें। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्रदान किये जायेंगे जो हिन्दी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति के साथ ही अंग्रेजी टंकण में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किये हों अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जायेगा।

विशेषः— (1) उपरोक्तानुसार, निर्धारित प्रतिबन्धों एवं अर्हताओं के अधीन, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित 180 अंकों एवं तृतीय भाग की टंकण परीक्षा हेतु निर्धारित 20 अंकों अर्थात कुल 200 अंकों में प्राप्त हुये अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।

(2) उपरोक्तानुसार निर्धारित 200 अंकों की परीक्षा में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक पाने की स्थिति में उस अभ्यर्थी का नाम ज्येष्ठता सूची में ऊपर रहेगा जिसकी उम्र अधिक होगी।

(3) परीक्षा प्रकिया से सम्बन्धित अन्य ऐसे बिन्दु जिनका विनियमावली में कोई उल्लेख नहीं है के सम्बन्ध में निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग को प्राप्त होगा।

5- अर्हताओं एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतीकरण :--अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर ऑनलाइन परीक्षा (CBT) में अस्थायी रुप से (provisionally) सम्मिलित किया जायगा। अभ्यर्थी द्वारा मात्र ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नही हो जायेगा।

(क) अभ्यर्थियों द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अईता सम्बन्धी योग्यता प्रमाण पत्र/अंकपत्र/जाति प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन कीमिलेयर) का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक हे)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक हे)/स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2022 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/स्वतंन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित प्रमाण पत्र (जिलाधिकारी द्वारा निर्गत)/विकलांगता प्रमाण पत्र/मूल निवास प्रमाण पत्र (दिनांक 31.03.2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है)/भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शारानादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) प्रमाण पत्र इत्यादि (जो अप्रशीमक हों उन्हें छोड़कर) की एक–एक स्वयं सत्यापित एवं हस्ताक्षरित छायाप्रति ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट के साथ अभिलेखों की जॉच के समय जमा करायी जायेगी। दक्षता परीक्षा (टंकण) के उपरान्त अर्ह पाय गये अभ्यर्थियों मे से लिखित परीक्षा (CBT) के द्वितीय भाग एवं टंकण परीक्षा में प्राप्त अंको के योग की अण्वता के आधार पर श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 02 गुना शॉर्टलिस्टेड अभ्यर्थियों के ही अर्हता से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच की जायेगी।

(ख) किसी भी प्रकार की गलत सूचना प्राप्त होने/देने पर, बिना सूचना के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थन निरस्त करने एवं चयन प्रक्रिया से वंचित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित है।

(ग) किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गयी सूचना में बदलाव (यथा नाम, जन्मतिथि, जाति, श्रेणी आदि) नहीं किया जायेगा।

(घ) टंकण परीक्षा एवं अर्हता सम्बन्धी समस्त अभिलेखों की जाँच हेतु निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा कि स्थिति में चयन प्रक्रिया अपूर्ण मानते हुए, अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा एवं कोई अन्य अवसर नहीं दिया जायेगा।

6-31 यु में अनुमन्य छूट: (क) अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग (नॉन-क्रीमीलेयर) एवं रवतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी के अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी है, को अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष छूट अनुमन्य होगी। (ख) भूतपूर्व सैनिक(यथा उत्तर प्रदेश के शासनादेश में परिभाषित एवं जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा की हो) को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी पूर्ण वर्षों की सेवा की अवधि में तीन वर्ष जोड़ते हुए छूट अनुमन्य होगी। (ग) विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्षों की छूट अनुमन्य होगी।

ESCU 898 30 Mitry ? https://www.freshersnow.com/governmen

3